Annexure-(5)

88

न्यायालय उप जिलाधिकारी हापुड।

वाद संख्या 38/2011
सूर्य प्रताप सिंह मेमोरियल एजूकेशन ट्रस्ट

धारा 143 जैड0ए0एण्ड एल0आर0एक्ट
बनाम
सरकार
ग्राम-धर्मपुर पाचें बिस्वा तहसील हापुड।

::-निर्णय-:: 16-8-2011

प्रस्तुत वाद वादी सूर्य प्रताप मेमोरियल एजूकेशन व चैरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा कुशल पाल सिंह पुत्र स्व0 नेत्रपाल सिंह निवासी 98 सेक्टर 2ए वैशाली गाजियाबाद की ओर से धारा 143 उ0प्र0 ज0वि0 एवं भू0 व्यय0 अधिनियम के अन्तर्गत भूमि को अकृषक घोषित किये जाने हेतु इस आधार पर योजित किया गया कि खाता संख्या 47 के खसरा संख्या 118ख/0.047 स्थित ग्राम धर्मपुर पाचें बिस्वा तहसील हापुड जिला गाजियाबाद के संक्रमणीय भूमिधर है। कृषि सम्बन्धि कोई कार्य नही किया जा रहा है। उक्त भूमि को अकृषक घोषित किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

उक्त सन्दर्भ मे तहसीलदार हापुड ने अपनी आख्या दिनांक 10-01-2011 में अवगत कराया है कि खाता संख्या 47 के खसरा संख्या 118ख/0.047 स्थित ग्राम धर्मपुर पाचें बिस्वा तहसील हापुड जिला गाजियाबाद में कृषि कार्य नही हो रहा है। भूमि अकृषक घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है। वाद दर्ज कर पक्षो को नोटिस जारी किये गये। हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण को नोटिस निर्गत किया गया। लेकिन कोई आख्या प्राप्त नही हुई।

शासनादेश संख्या 8164/5-49 ए/03 दिनांक 28-01-2004 में यह व्यवस्था दी है कि कृषि भूमि का भू-उपयोग परिवर्तित होने पर उप जिलाधिकारियों द्वारा अभियान चलाकर स्वप्रेरणा से धारा 143 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। प्रश्नगत आराजी आबादी क्षेत्रान्तर्गत स्थित है तथा इसे गैर कृषि उपयोग हेतु प्रयोग किया जाता है। माल अभिलेखों में कृषि दर्ज होने के कारण स्टाम्प अपवंचन हो रहा है। अतः राजकीय हित में इस गैर कृषि प्रयोजनार्थ भूमि घोषित किये जाना उचित प्रतीत होता है।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तहसीलदार हापुड की आख्या दिनांक 10-01-2011 का सम्यक परिशीलन किया गया। तहसीलदार हापुड ने अपनी आख्या में उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई वैधानिक बाधा नही है।

::-आदेश-::

उपरोक्त विवेचना के आधार पर खाता संख्या 47 के खसरा संख्या 118ख/0.047 स्थित ग्राम धर्मपुर पाचें बिस्वा तहसील हापुड जिला गाजियाबाद को तहसीलदार हापुड की उक्त आख्या के आधार पर एवं शासनादेश के क्रम में स्टाम्प अपवंचन रोकने के उद्देश्य से धारा 143 ज0वि0 एवं भू0व्यय0अधि0 के अन्तर्गत अकृषक घोषित किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति तहसीलदार हापुड को राजस्व अभिलेखों की दुरुस्ती हेतु तथा एक प्रति उप निबन्धक हापुड को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। अतः वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह कोई भी निर्माण कार्य हा0पि0वि0प्रा0/सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही करेंगे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

दिनांक-16-8-2011

(पुष्पा देवसरी)
उप जिलाधिकारी, हापुड

वास्ते श्री सूर्य प्रताप सिंह मैमोरियल
एजुकेशन व चैरिटेबिल ट्रस्ट

(अध्यक्ष) (सचिव)

89

30

कोई भी निर्माण कार्य हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकारण/सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही करेगें। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः- 15/12/10

(पुष्पा देवरार)
उप जिलाधिकारी, हापुड
जिला –गाजियाबाद।

निर्णय/आदेश मेरे द्वारा स्वहस्ताक्षरित एंव दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः- 15/12/10

(पुष्पा देवरार)
उप जिलाधिकारी, हापुड
जिला –गाजियाबाद।

07/13=00
15/12/10
16/12/10
16/12/10

TRUE COPY
16/12/10
HAPUR

(अध्यक्ष)
श्री सूर्य प्रताप सिंह मैमोरियल
एजुकेशन व चैरिटेबिल ट्रस्ट

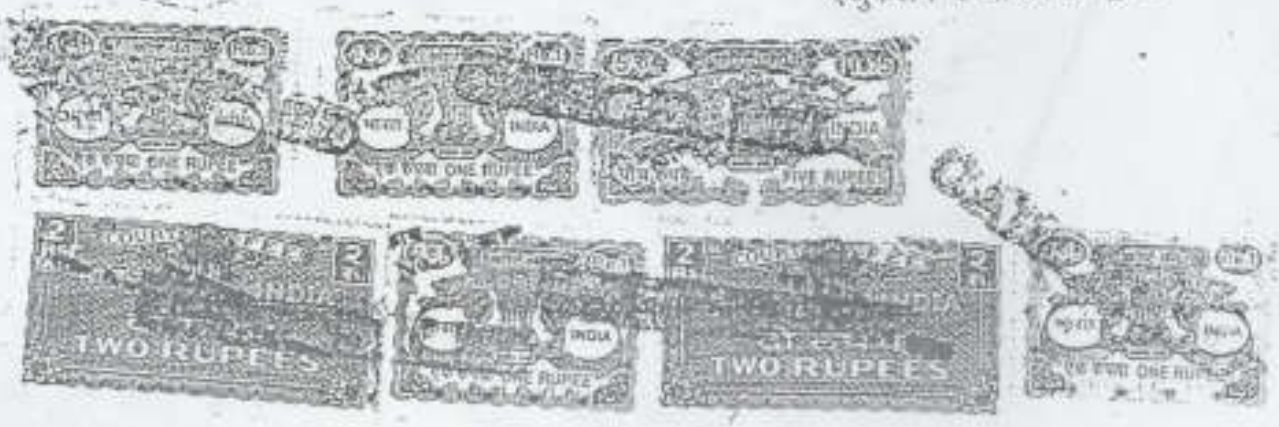

वास्ते श्री सूर्य प्रताप सिंह मैमोरियल
एजुकेशन व चैरिटेबिल ट्रस्ट

(अध्यक्ष)

(सचिव)

ANN 5

न्यायालय उप जिलाधिकारी हापुड़, जिला–गाजियाबाद।

वाद संख्या 11/2010 — धारा 143 जे०ए०एण्ड एल०आर०एक्ट

सूर्य प्रताप सिंह मैमोरियल व चेरीटेबिल ट्रस्ट — बनाम — सरकार — 90

ग्राम–धर्मपुर पाचें बिस्वा, परगना व तहसील–हापुड़, जिला–गाजियाबाद।

दस्तखत :–निर्णय–: दि० 15/12/10

प्रस्तुत वाद वादी सूर्यप्रताप मैमोरियल एजुकेशन चेरीटेबिल ट्रस्ट पंजीकृत कार्यालय कमल कुंज रेलवे रोड बुलन्दशहर द्वारा अध्यक्ष कुशलपाल सिंह पुत्र श्री नेत्रपाल सिंह निवासी प्लाट नं0 98 से0 2 ए वैशाली गाजियाबाद की ओर से धारा 143 उ0प्र0 ज0वि0 एवं भू0 व्य0 अधिनियम के अन्तर्गत भूमि को अकृषक घोषित किये जाने हेतु इस आधार पर योजित किया गया कि वर्तमान उद्धरण खतौनी के वर्ष 1415–1420 फसली के खाता संख्या 79 के खसरा संख्या 106 रकबा 0.0250है0, खसरा संख्या 111क रकबा 0.4680है0, खसरा संख्या 112 रकबा 0.0090है0, खसरा संख्या 114क रकबा 1.3760है0, खसरा संख्या 115 रकबा 0.0030है0 खसरा संख्या 116 रकबा 0.1140है0 स्थित ग्राम धर्मपुर पाचें बिस्वा, परगना व तहसील हापुड़, जिला गाजियाबाद में संक्रमणीय भूमिधर है। भूमि मौके पर अकृषक के रूप में प्रयोग में लाई जा रही है। उक्त भूमि को अकृषक घोषित किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

उक्त सन्दर्भ में तहसीलदार हापुड़ ने अपनी आख्या दिनांक 12–11–2010 में अवगत कराया है खाता संख्या 79 के खसरा संख्या 106 रकबा 0.0250है0, खसरा संख्या 111क रकबा 0.4680है0, खसरा संख्या 112 रकबा 0.0090है0, खसरा संख्या 114क रकबा 1.3760है0, खसरा संख्या 115 रकबा 0.0030है0 खसरा संख्या 116 रकबा 0.1140है0 स्थित ग्राम धर्मपुर पाचें बिस्वा, परगना व तहसील हापुड़, जिला गाजियाबाद में कृषि कार्य नहीं हो रहा है। निर्माण कार्य चल रहा है। कुक्कुट पालन मत्स्य पालन व फूलों की खेती आदि कार्य नहीं हो रहा है। मौके पर भूमि अकृषक है। भूमि अकृषक घोषित किये जाने हेतु राजस्व निरीक्षक हापुड़ की आख्या को संस्तुति सहित अग्रसरीत किया गया है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण को आख्या पत्र हेतु पत्र निर्गत किया गया। हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण की ओर से कोई आख्या प्राप्त नहीं हुई। ऐसी स्थिति में वाद का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किया जाता है।

शासनादेश संख्या 8164/5–49 ए/03 दिनांक 28–01–2004 में यह व्यवस्था दी है कि कृषि भूमि का भू–उपयोग परिवर्तित होने पर उप जिलाधिकारियों द्वारा अभियान चलाकर स्वप्रेरणा से धारा 143 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। प्रश्नगत आराजी आबादी क्षेत्रान्तर्गत स्थित है तथा इसे गैर कृषि उपयोग हेतु प्रयोग किया जाता है। माल अभिलेखों में कृषि दर्ज होने के कारण स्टाम्प अपवंचन हो रहा है। अतः राजकीय हित में इस गैर कृषि प्रयोजनार्थ भूमि घोषित किये जाना उचित प्रतीत होता है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तहसीलदार हापुड़ की आख्या दिनांक 12–11–2010 का सम्यक परिशीलन किया गया। तहसीलदार हापुड़ ने अपनी आख्या में उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है। अतः उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई वैधानिक बाधा नहीं है।

:–आदेश–:

स्थित ग्राम धर्मपुर पाचें बिस्वा, परगना व तहसील हापुड़, जिला गाजियाबाद के खाता संख्या 79 के खसरा संख्या 106 रकबा 0.0250है0, खसरा संख्या 111क रकबा 0.4680है0, खसरा संख्या 112 रकबा 0.0090है0, खसरा संख्या 114क रकबा 1.3760है0, खसरा संख्या 115 रकबा 0.0030है0 खसरा संख्या 116 रकबा 0.1140है0 को तहसीलदार हापुड़ की उक्त रिपोर्ट के आधार पर एवं शासनादेश के क्रम में स्टाम्प अपवंचन रोकने के उद्देश्य से धारा 143 ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 के अन्तर्गत अकृषक घोषित किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति तहसीलदार हापुड़ को राजस्व अभिलेखों की दुरुस्ती हेतु तथा एक प्रति उप निबन्धक हापुड़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। बाद आवश्यक निर्देशित [illegible]

वास्ते श्री सूर्य प्रताप सिंह मैमोरियल एजुकेशन व चैरिटेबिल ट्रस्ट

(अध्यक्ष) (सचिव)

कोई भी निर्माण कार्य हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकारण / सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही करेगें। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 15/12/10

(पुष्पा देवरार)
उप जिलाधिकारी, हापुड
जिला –गाजियाबाद।

निर्णय / आदेश मेरे द्वारा स्वहस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक:- 15/12/10

(पुष्पा देवरार)
उप जिलाधिकारी, हापुड
जिला –गाजियाबाद।

07/13=00
15/12/10
16/12/10
16/12/10

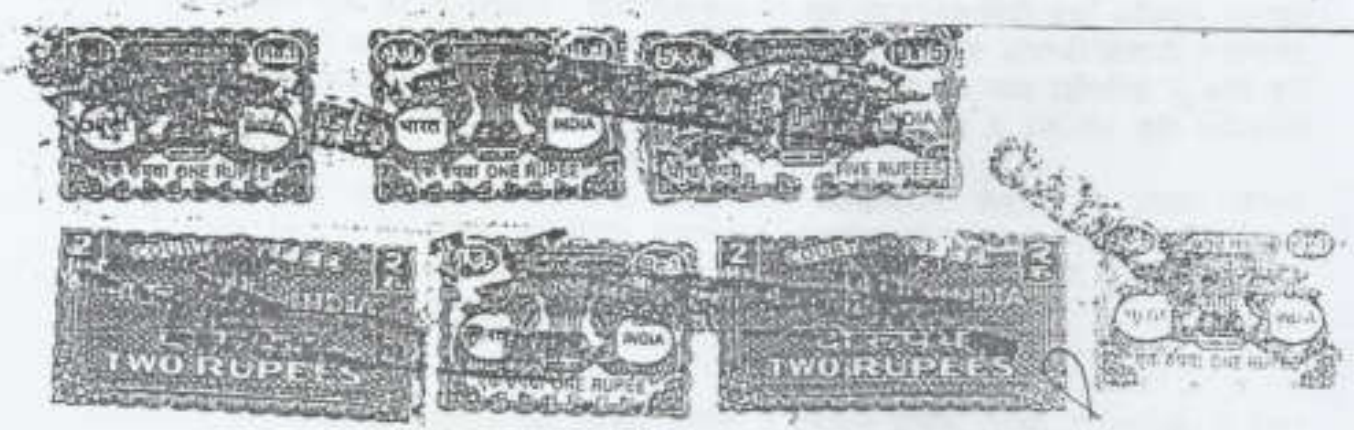

वास्ते श्री सूर्य प्रताप सिंह मैमोरियल
एजुकेशन व चैरिटेबिल ट्रस्ट

(सचिव)

(अध्यक्ष)